न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री के0 सी0 वर्मा आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त, कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 31/2017/अपील/आर्म्स/कोटा
दायरा दिनांक 22.5.2017
किस्म अपीलः धारा 18 आयुद्ध अधिनियम 1959

उनवान

सुरेश कुमार मित्तल पुत्र स्व0 महावीर प्रसाद मित्तल निवासी मकान नम्बर–313 ओम एनक्लेव, अनन्तपुरा, कोटा–राज0।

....अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटा।

....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री मोहनलाल राव अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

:: निर्णय ::

दिनांक 22.10.2018

अपीलार्थी ने यह अपील न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित आदेश कमांक/न्याय/आर्म्स/17/2773–75 दिनांक 11.5.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील धारा 18 आयुद्ध अधिनियम 1959 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे प्रस्तुत की हैं।xx

1 प्रस्तुत अपील के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 799/आउट/कोटा एक 32 बोर पिस्टल नं0 621410 एवं 12 बोर बन्दूक सं0 15600–05 तथा राईफल सं0 963547 वैधता अवधि 31.12.2016 को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण हेतु प्रा0 पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नवीनीकरण के संबध मे पुलिस अधीक्षक कोटा शहर से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई जिला पुलिस अधीक्षक कोटा शहर द्वारा जांच रिपोर्ट मे आवेदक के विरूद्ध थाना अनन्तपुरा पर आपराधिक प्रकरण संख्या 497/2014 धारा 341,323,143,147,149 आईपीसी मे एवं प्रकरण सं0 502/2014 धारा 341,323,506,509,143,149 भा.द.स. मे दर्ज होकर न्यायालय मे विचाराधीन होना तथा दिनांक 8.10.2014 को आवेदक के विरूद्ध धारा 107, 116 (3) सीआरपीसी के तहत इस्तगासा पेश किया जिसमे 6 माह की अवधि के लिये पाबन्द किया जाना वर्णित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने विचाराधीन प्रकरण की स्थिति मे नवीनीकरण किया जाना विधि सम्मत नही होने आवेदक/अपीलार्थी के उक्त शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 799/आउट/कोटा को आदेश कमांक/न्याय/आर्म्स/17/2773–75 दिनांक 11.5.2017 से निलम्बित किया जाकर धारित शस्त्र थाना अनन्तपुरा मे तत्काल प्रभाव से जमा कराने का आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपील न्यायालय हाजा मे पेश कर अनुरोध किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश पूर्णतः अवैध अनाधिकृत है क्योंकि अपीलार्थी का अनुज्ञापत्र 32 वर्षो से निरन्तर नवीनीकरण किया जाता रहा है अपीलांट के विरूद्ध शस्त्र के दुरूपयोग से संबधित कोई आरोप नही है। अपीलार्थी से नवीनीकरण शुल्क 6750/–जमा करवा लिये है इसके बावजूद अनुज्ञापत्र नवीनीकरण न कर

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

निलम्बित करने का त्रुटिपूर्ण आदेश पारित कर दिया जो निरस्तनीय है। जिस आधार पर निलम्बित किया है वह आधार विधिसम्मत नही है क्योंकि उक्त दोनो अपराध साधारण प्रकृति के है एंव जिनमे हथियार के उपयोग करने का उल्लेख नही है। अपीलांट न्यायालय मे कभी 6 माह के लिये पाबन्द नही हुवा। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस को संतोषप्रद नही मानने मे त्रुटि की है। अपीलार्थी लघु उघोग व्यवसायी है जिसके कारण उसको कई बार भारी राशि के साथ आवागमन करना पडता है जिससे जानमाल का खतरा बना रहता है इसलिये अनुज्ञापत्र की आवश्यकता रहती है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.5.2017 निरस्त किया जाकर शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाने का आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई। xx

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।xx

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यो को दोहराया तथा कथन किया कि जेरअपील जिन प्रकरणों के आधार पर अपीलार्थी का लाईसेन्स निलम्बित किया गया है उन प्रकरणो का माननीय न्यायालय न्यायिक मजि0 क्रम 5 दक्षिण कोटा से प्रकरण सं0 1154/14 एवं 1155/2014 सरकार बनाम सुरेश मित्तल वगेरा मे दिनांक 28.9.2018 को निर्णय किया जा चुका है जिसकी प्रति माननीय न्यायालय मे अपील प्रकरण मे पेश की है जो अवलोकनीय है उक्त प्रकरणो मे माननीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सजायाब नही किया गया है तथा धारा धारा 107, 116 (3) सीआरपीसी मे अपीलांट को 6 माह के लिये पाबन्द नही किया गया ना ही ऐसे कोई तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध है। बहस मे आगे प्रकट किया कि शस्त्र के दुरूपयोग से संबधित कोई आरोप नही है आर्म्स एक्ट मे निहित प्रावधान/रूल्स की अपीलार्थी द्वारा अवहेलना नही की है। ऐसे कोई दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध नही है जिससे अपीलार्थी द्वारा लोकशांति भंग किया जाना इंगित करते हो ऐसी स्थिति मे अपीलार्थी द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र को न्यायहित मे आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण किया जाना न्यायोचित है। उक्त तथ्यो के मध्य नजर अपील अपीलार्थी स्वीकार कर जेरअपील आदेश निरस्त कर शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण के आदेश प्रदान किया जावे। xx

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस मे बताया कि शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण के संबध मे पुलिस अधीक्षक कोटा शहर से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार आवेदक के विरूद्ध थाना अनन्तपुरा मे आपराधिक प्रकरण संख्या497/2014धारा341,323,143,147,149आईपीसीएवं प्रकरण सं0 502/2014 धारा 341,323,506,509,143,149 भा.द.स. मे दर्ज होकर न्यायालय मे विचाराधीन होने तथा दिनांक 8.10.2014 को आवेदक के विरूद्ध धारा 107, 116 (3) सीआरपीसी के तहत पेश इस्तगासे मे 6 माह की अवधि के लिये पाबन्द किये जाने से अपीलांट का प्रथम दृष्टया आपराधिक प्रवृति का होना प्रकट होता है ऐसी स्थिति मे लोकशांति व लोकसुरक्षा के मध्यनजर शस्त्र का धारित रहना कतई उचित नही ठहराया जा सकता। उक्त तथ्यों के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय ने शस्त्र अनुज्ञापत्र आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण नही कर निलम्बित करते हुये शस्त्र थाने मे जमा कराने का आदेश पारित किया है जो न्यायोचित है। अतः अपील खारिज किये जाने योग्य है। xx

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 799 वैधता अवधि 31.12.2016 को जिला पुलिस अधीक्षक कोटा शहर की

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

जांच रिपोर्ट अनुसार अपीलांट के विरूद्ध थाना अनन्तपुरा मे आपराधिक प्रकरण संख्या 497/2014 धारा 341,323,143,147,149 आईपीसी एंव प्रकरण सं0 502/2014 धारा 341,323,506,509,143,149 भा.द.स. मे दर्ज होकर न्यायालय मे विचाराधीन होने तथा दिनांक 8.10.2014 को आवेदक के विरूद्ध धारा 107, 116 (3) सीआरपीसी के तहत पेश इस्तगासे मे 6 माह की अवधि के लिये पाबन्द किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय ने विचाराधीन प्रकरण की स्थिति मे शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण नही कर जेरअपील आदेश कमांक/न्याय/आर्म्स/17/2773–75 दिनांक 11.5.2017 से निलम्बित किया है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि जिला पुलिस अधीक्षक कोटा शहर की रिपोर्ट तथा जेरअपील आदेश मे वर्णित आपराधिक प्रकरणो का माननीय न्यायालय न्यायिक मजि0 कम 5 दक्षिण कोटा से प्रकरण सं0 1154/14 एवं 1155/2014 सरकार बनाम सुरेश मित्तल वगेरा मे दिनांक 28.9.2018 को निर्णय किया जा चुका है जिसमे अपीलार्थी को सजायाब नही किया गया है तथा धारा धारा 107, 116 (3) सीआरपीसी मे अपीलांट को 6 माह के लिये पाबन्द नही किया गया। अपीलांट द्वारा अपने तर्क के समर्थन मे माननीय न्यायालय न्यायिक मजि0 कम–5 द्वारा उक्त प्रकरणो मे पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति पेश की है जिसके अवलोकन से अपीलांट के तर्क को बल मिलता है। चूंकि प्रश्नगत जेरअपील आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11.5.2017 को पारित किया गया है जबकि माननीय न्यायालय द्वारा विवेचित उक्त निर्णय जेरअपील आदेश पारित होने के पश्चात दिनांक 28.9.2018 को पारित किये है। ऐसी स्थिति मे प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त विवेचित दस्तावेजात के आलोक मे इस स्टेज पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील आदेश दिनांक 11.5.2017 को न्यायहित मे न्यायोचित नही पाते है। लिहाजा उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील आदेश कमांक/न्याय/आर्म्स/17/2773–75 दिनांक 11.5.2017 अपास्त कर प्रकरण अपीलांट को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमांड किये जाने योग्य है।

6 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आशिक रूप से स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटा द्वारा पारित जेरअपील आदेश कमांक/न्याय/आर्म्स/17/2773–75 दिनांक 11.5.2017 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटा को, अपीलांट को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का विधिवत अवसर प्रदान करते हुये उक्त विवेचित तथ्यो का समुचित परीक्षण कर अपीलांट द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबध मे पुनः विधिसम्मत एवं तथ्यात्मक निर्णय/आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है। xx

7 निर्णय आज दिनांक 22.10.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(के0 सी0 वर्मा)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा